संयुक्त प्रान्त नर्सें, धात्रियां सहायक धात्रियां, सहायक नर्स-धात्रियां तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1934

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 15, 1934)

THE UNITED PROVINCES NURSES, MIDWIVES, ASSISTANT MIDWIVES [AUXILLARY NURSE-MIDWIVES AND HEALTH VISITORS] REGISTRATION ACT, 1934

[U.P. Act No. XV of 1934]

[1]संयुक्त प्रान्त नर्सें, धात्रियां सहायक धात्रियां, [2][सहायक नर्स–धात्रियां तथा स्वास्थ्य परिदर्शक] रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1934

[संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 15, 1934]

सं0 प्रा0 अधिनियम संख्या 4, 1944

सं0 प्रा0 अधिनियम संख्या 9, 1945

उ0 प्रा0 अधिनियम संख्या 16, 1948

उ0 प्रा0 अधिनियम संख्या 35, 1952

उ0 प्रा0 अधिनियम संख्या 25, 1954

उ0 प्रा0 अधिनियम संख्या 14, 1960

द्वारा संशोधित

गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (एडेप्टेशन आफ इण्डियन लाज) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

[गवर्नर ने 7 जुलाई, 1934 तथा गवर्नर–जनरल ने 5 अगस्त, 1934 को स्वीकृति प्रदान की तथा गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट की धारा 81 के अन्तर्गत 25 अगस्त, 1934 को प्रकाशित हुआ।]

आगरा व अवध के संयुक्त प्रान्त में नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [2][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थय परिदर्शकों] के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [1][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थय परिदर्शकों] के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था की जाय ;

और इस अधिनियम को पारित करने के लिए गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट की धारा 80–ए (3) (एफ) के अधीन गवर्नर–जनरल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जा चूंकी है ;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त नर्से, धात्रियां, सहायक धात्रियां, [2][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थय परिदर्शक] रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1934 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण [3][उत्तर प्रदेश] में होगा ।

(3) यह ऐसे [4]दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे [5][राज्य सरकार] [6][सरकारी गजट] में अधिसूचना द्वारा, निदेशित करे ।

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये असाधारण गजट, दिनांक 9 दिसम्बर, 1933 पृष्ठ 12 देखियें ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (दो यूनाइटेड प्रांविसेज) के लिये प्रतिस्थापित । शब्द "(आफ आगरा एण्ड अवध)" उपर्युक्त द्वारा निकाले गये ।
4. यह अधिनियम 1 जनवरी, 1937 से प्रवृत्त हुआ ।
5. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा "प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट" के लिये प्रतिस्थापित ।
6. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा "यू0 पी0 गवर्नमेन्ट गजट" के लिये प्रतिस्थापित ।

परिभाषायें

2–जब तक विषय या प्रसंग मे कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में ––

(क) "परिषद्" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन परिषद् से है ;

(ख) "अधिसूचना" का तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है ;

(ग) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों द्वारा विहित से है ;

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, 1917

(घ) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त चिकित्सा अधिनियम, 1917 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से है ;

(ङ) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का पालन करने के लिये धारा 16 (1) (क) या (ख) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति से है ;

(च) "रजिस्टरों" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन रखें गये रजिस्टरों से है ;

(छ) धारा 2 (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए "रजिस्ट्रीकृत" का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से है, और "अरजिस्ट्रीकृत" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हों ;

(ज) "नर्स" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे [1][राज्य सरकार] द्वारा तदर्थ अधिसूचित किसी संस्था से नर्सिंग में प्रमाण–पत्र मिला हो या जो धारा 23 के खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो और इसके अन्तर्गत पुरूष नर्स भी होगा ;

(झ) "धात्री" का तात्पर्य ऐसें व्यक्ति से है जिसे परिषद् द्वारा तदर्थ मान्यता प्राप्त किसी संस्था से धात्री कर्म में डिप्लोमा मिला हो, या जो धारा 23 के खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो ;

(ञ) "सहायक धात्री" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे परिषद् द्वारा तदर्थ मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सहायक धात्री के रूप में डिप्लोमा मिला हो, या जो धारा 23 के खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो ; [2][***]

(ट) "स्वास्थ्य परिदर्शक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे [3][उत्तर प्रदेश] स्वास्थ्य विद्यालय का या [1][राज्य सरकार] द्वारा तदर्थ अधिसूचित किसी अन्य संस्था से स्वास्थ्य परिदर्शक का प्रमाण–पत्र मिला हो ; [4][और]

[5][(ठ) "सहायक नर्स–धात्री" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे परिषद् द्वारा तदर्थ मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सहायक उपचारिका धात्री कर्म में प्रमाण–पत्र मिला हो ।]

परिषद् की स्थापना और निगमन

3–एक परिषद् स्थापित की जायेगी और वह "संयुक्त प्रान्त नर्स तथा धात्री परिषद्" कहलायेगी, तथा वह परिषद् एक निगमित निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा "प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट" के लिये प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 5 (1) द्वारा शब्द "ऐण्ड" निकाला गया ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (दो यूनाइटेड प्रांविसेज) के लिये प्रतिस्थापित । शब्द "(आफ आगरा एण्ड अवध)" उपर्युक्त द्वारा निकाले गये ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 5 (2) द्वारा जोड़ा गया ।
5. उपर्युक्त की धारा 5 (3) द्वारा जोड़ा गया ।

4–(1) परिषद् के [1][निम्नलिखित सदस्य] होंगे, अर्थात् :–

[2][(क) पदेन सदस्यों के रूप में ––

(1) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश ;

(2) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, उत्तर प्रदेश ;

(3) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा उप निदेशक (महिला), उत्तर प्रदेश ;

(4) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा सहायक निदेशक (प्रसूति तथा बाल कल्याण अनुभाग,) उत्तर प्रदेश ;

(5) अधीक्षक, नर्सिंग सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ;

(6) अधीक्षक, सिल्वर जुबली स्वास्थ्य विद्यालय, लखनऊ ; और

(7) अधीक्षक, कमला नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद ।]

[3][(ख) निर्वाचित सदस्यों के रूप में ––

(1) एक गैर–सरकारी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो राज्य चिकित्सा फैकल्टी [4][उत्तर प्रदेश] के शासी निकाय द्वारा स्वयं अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जायगा ;

(2) [4][उत्तर प्रदेश] विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों मे से निर्वाचित किए गए दो सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला होगी ;

(3) [4][उत्तर प्रदेश] विधान परिषद् द्वारा अपने सदस्यों मे से निर्वाचित किया गया एक सदस्य ;

(4) चार रजिस्ट्रीकृत नर्सें जिन्हें रजिस्ट्रीकृत नर्सों द्वारा निर्वाचित किया जायगा ;

(5) रजिस्ट्रीकृत [5][धात्रियों, सहायक नर्स धात्रियों तथा सहायक धात्रियों] के दो प्रतिनिधि जो उनके द्वारा संयुक्त रूप से निर्वाचित किये जायेंगे ;

(6) एक रजिस्ट्रीकृत स्वास्थ्य परिदर्शक जो रजिस्ट्रीकृत स्वास्थ्य परिदर्शकों द्वारा निर्वाचित किया जायगा ।

(ग) नाम निर्देशित सदस्यों के रूप में ––

---

1. उपर्युक्त की धारा 5 (3) द्वारा जोड़ा गया ।
2. उपर्युक्त द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1948 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा "यूनाइटेड प्राविंसेज" के लिये प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 6 द्वारा "एण्डएसिस्टैन्ट मिडवाइव्ज" के लिए प्रतिस्थापित ।

(1) चार सदस्य जो [1][उत्तर प्रदेश] के राजकीय चिकित्सालयों या राजकीय सहायता प्राप्त चिकित्सालयों में सेवायोजित नर्सिंग अधीक्षकों, मैट्रनों तथा शिक्षिका सिस्टरों में से [2][राज्य सरकार] द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे ;

(2) एक सदस्य जो किसी प्रशिक्षण संस्था के चिकित्सा अधीक्षकों मे से [2][राज्य सरकार] द्वारा नाम निर्देशित किया जायगा ;

(3) एक धात्री जो किसी राजकीय चिकित्सालय या राजकीय सहायता प्राप्त चिकित्सालय की कर्मचारी होनी चाहिए, जिसे [2][राज्य सरकार] द्वारा नामनिर्देशित किया जायगा ;

(4) [1][उत्तर प्रदेश] में निवास करने वाली एक रजिस्ट्रीकृत नर्स जो ट्रेन्ड नर्सेज एसोसियेशन आफ इण्डिया की [1][उत्तर प्रदेश] शाखा द्वारा नाम निर्देशित की जायेगी।]

[3][(2) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश तथा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश, परिषद् के क्रमशः पदेन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होंगे ।]

(3) यदि कोई पदेन सदस्य कार्य करने से इन्कार कर दे या पदत्याग कर दे, या यह समझा जाय कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है या वह सदस्यता से अनर्ह हो जाय तो [2][राज्य सरकार] इस धारा की उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी परिषद् में उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नाम निर्देशित करेगी ।

निर्वाचन न होने पर सदस्यों का नाम–निर्देशन

5–यदि धारा 4 में निर्दिष्ट कोई निर्वाचक निकाय धारा 9 में निर्दिष्ट किसी रिक्ति की दशा में तीन मास के भीतर और किसी अन्य दशा में उस दिनांक तक जो विहित किया जाय किसी अर्ह व्यक्ति को परिषद का सदस्य होने के लिए निर्वाचित न करे तो [2][राज्य सरकार] सदस्य नाम निर्देशित करेगी और इस प्रकार नाम निर्देशित व्यक्ति परिषद् का ऐसा सदस्य समझा जायगा मानो वह ऐसे निकाय द्वारा यथाविधि निर्वाचित किया गया हो ।

सदस्यों के नामों का प्रकाशन

6–परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम निर्देशित प्रत्येक व्यक्ति का नाम [2][राज्य सरकार] द्वारा [4][सरकारी गजट] में प्रकाशित किया जायेगा ।

सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी

7–परिषद्, किसी भी सदस्य को छः मास से अनधिक अवधि तक के लिए परिषदों की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

आकस्मिक रिक्तियां

8–(1) परिषद् का कोई सदस्य ––

(क) यदि परिषद् द्वारा पर्याप्त समझे गए किसी कारण से अन्यथा, परिषद् की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे ; या

(ख) यदि लगातार छः मास से अधिक अवधि तक भारत के बाहर रहे, या

(ग) यदि उसमें धारा 11 में उपवर्णित निर्योग्यताओं में से कोई निर्योग्यता हो जाय; या

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा "यूनाइटेड प्राविंसेज" के लिये प्रतिस्थापित ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा "प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट" के लिये प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1952 की धारा 2 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा "यू0 पी0 गवर्नमेन्ट गजट" के लिये प्रतिस्थापित ।

(घ) यदि धारा 4 (1) (ख) के अधीन निर्वाचित हो जाने पर, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी न रह जाय या उसका नाम रजिस्टरों से हटा दिया जाय ; [1][या]

[2][(ङ) यदि नाम–निर्देशित सदस्य होते हुए धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समुचित प्रवर्गो में न रह जाय,)]

तो उसके बारे में यह समझा जायगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई रिक्ति होने पर अध्यक्ष इस तथ्य की सूचना [3][राज्य सरकार] को तुरन्त देगा ।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

9–[4][यदि परिषद् के किसी सदस्य की, चाहे वह धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन निर्वाचित किया गया हो या नाम निर्देशित किया गया हो, मृत्यू हो जाय या वह अपनी सदस्यता से त्याग–पत्र दे दे या धारा 8 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन सदस्य न रह जाय तो, ऐसी रिक्ति तीन मास के भीतर, धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति, नये निर्वाचन या नाम निर्देशन द्वारा और निर्वाचन न होने पर धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार नाम निर्देशन द्वारा, भरी जायेगी ।]

सदस्यों की पदावधि

10–(1) परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि निर्वाचन या नाम–निर्देशन के दिनांक से तीन वर्ष होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 9 के अधीन निर्वाचित या नाम निर्देशित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की जिसके स्थान पर वह निर्वाचित या नाम निर्देशित हुआ हो, पदावधि की शेष अवधि होगी ;

[5][प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (2) या (3) के अधीन निर्वाचित कोई सदस्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य न रह जाय तो वह परिषद् का सदस्य न रह जायेगा ।]

(2) कोई पदावरोही सदस्य, यदि वह धारा 11 के अधीन (अनर्ह) न हो तो पुनः निर्वाचन या पुनः नाम–निर्देशन का पात्र होगा ।

सदस्यता के लिए अनर्हताएं

11–कोई व्यक्ति परिषद् का सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा, यदि ––

(क) उसे किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए जो तीन मास से अधिक अवधि के कारावास के दण्ड से दण्डनीय हो, करावास का, या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो और बाद में ऐसे दण्ड को उलट न दिया गया हो या उसका परिहार न कर दिया गया हो या अपराधी को क्षमा न किया गया हो, और ऐसे दण्ड के कारण उस व्यक्ति की अनर्हता का ऐसे आदेश द्वारा जिसे [3][राज्य सरकार] यदि वह ठीक समझे तो, तदर्थ करने के लिए एतव् द्वारा सशक्त है, परिहार न किया गया हो ;

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 1952 की धारा 3 (क) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा "प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट" के लिये प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 1952 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 25, 1954 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो ; या

(ग) वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त निर्णीत हुआ हो ।

गणपूर्ति और मतदान

12–(1) परिषद् की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जायगा जब तक आठ सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति न हो ।

(2) धारा 21 (1) मे अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर परिषद् की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का विनिश्चय बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से, या मत बराबर होने की दशा में परिषद् के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के द्वितीय या निर्णायक मत से, किया जायगा ।

कार्यो तथा कार्यवाहियों की बैधता

13–परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अवैध न समझी जायेगी कि परिषद् में कोई रिक्ति थी या परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी सदस्य के निर्वाचन या नाम–निर्देशन में कोई दोष था ।

परिषद की बैठक तथा समितियों का संगठन

14–(1) इस अधिनियम के तथा इस अधिनियम के अधीन [1][राज्य सरकार] द्वारा बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् निम्नलिखित के सम्बन्ध में विनियम बनायेगी––

(क) कार्य सम्पादन का ढंग जिसके अन्तर्गत सदस्यों में पत्रों को परिचालित करके आपाती विषयों पर विनिश्चयों का तथा परिषद् के समक्ष किसी विशिष्ट विषय पर परिषद् को सलाह देने के लिये विशेष रूप से अर्हित व्यक्तियों को सहयोजित करने का उपबन्ध भी है ;

(ख) वे समय जब और वे स्थान जहां उसकी बैठकें की जायेंगी ;

(ग) उनमें कार्य का संचालन ; और

(घ) समितियों का संघटन, ऐसी समितियों को परिषद् की इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं शक्तियों अथवा कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन और ऐसी समितियों की अपने कार्य सम्पादन में गणपूर्ति तथा प्रक्रिया ।

(2) उस समय तक जब तक कि उपधारा (1) में उल्लिखित विनियम न बन जाये, परिषद् के अध्यक्ष के लिये यह वैध होगा कि वह परिषद् के प्रत्येक सदस्य को सम्बोधित पत्र द्वारा ऐसे समय तथा स्थान पर, जो वह उचित समझे, परिषद् की बैठक बुलाये ।

सदस्यों को व्ययो का भुगतान

15–परिषद् तथा समितियों के सदस्यों को ऐसे यात्रा सम्बन्धी तथा अन्य व्ययों का भुगतान किया जायगा जो धारा 33 (3) (घ) के अधीन विनियमों द्वारा समय–समय पर विहित किये जायें ।

रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

16–(1) परिषद् की पूर्व मंजूरी से ––

(क) एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी ;

(ख) उस रजिस्ट्रार को छुट्टी स्वीकृत कर सकेगी तथा उसके स्थान पर कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी ; और

(ग) रजिस्ट्रार को तथा उसके स्थान पर कार्य करने के लिये नियुक्त व्यक्ति को,

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा "प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट" के लिये प्रतिस्थापित ।

यदि कोई हो, ऐसा वेतन तथा भत्ते (यदि कोई हो) देगी, जिन्हें परिषद् अवधारित करे ।

(2) परिषद् ऐसे अन्य अधिकारी तथा ऐसे अन्य लिपिक और सेवक नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे और उन्हें ऐसे वेतन और ऐसे भत्ते (यदि कोई हों) देगी, जो परिषद् [1][राज्य सरकार] की पूर्व मंजूरी से अवधारित करे ।

(3) रजिस्ट्रार, परिषद् के सचिव तथा कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

रजिस्टरों के रखे जाने के संबंध में परिषद् के आदेश

17–(1) परिषद्, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र सुविधानुसार और समय–समय पर जैसा कि अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, नर्सो, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [2][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] अपनी–अपनी अर्हता के अनुसार उनके रजिस्टरों के बनाये जाने, रखे जाने तथा प्रकाशन को विनियमित करने के लिये आदेश दे सकेगी ।

(2) उक्त रजिस्टर ऐसे प्रपत्र या प्रपत्रों में रखे जायेंगे जो विहित किये जायें ।

रजिस्टरों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार के कृत्य

18–(1) रजिस्ट्रार इस अधिनियम के तथा परिषद् द्वारा दिये गये किन्हीं आदेशों के उपबन्धों के अनुसार धारा 17 में उल्लिखित रजिस्टरों को रखेगा और ऐसी नर्सो, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [3][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] के रजिस्ट्रीकृत पतों या नियुक्तियों में समय–समय पर समस्त आवश्यक परिवर्तन करेगा, और किन्हीं ऐसी रजिस्ट्रीकृत नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [4] [सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] के नाम रजिस्टर से काट देगा, जिनकी मृत्यु हो गयी हो या जिन्होंने भारत में रहना और व्यवसाय करना छोड़ दिया हो ।

(2) रजिस्ट्रार उपधारा (1) द्वारा उसको अधिरोपित कर्तव्यों को पूरा करने के लिये नर्स, धात्री, सहायक धात्री, [5][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को डाक द्वारा उसके रजिस्ट्रीकृत पते या नियुक्ति के अनुसार सम्बोधित पत्र, यह पता लगाने के लिये भेज सकेगा कि क्या उसने व्यवसाय करना छोड़ दिया है या उसकी नियुक्ति में कोई परिवर्तन हुआ है ; और यदि ऐसा पत्र प्रेषित किये जाने के छः मास की अवधि के भीतर उसका कोई उत्तर प्राप्त न हो, तो रजिस्ट्रार उस व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर से काट सकेगा जिसमें वह प्रविष्ट हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन काटा गया कोई नाम परिषद् के निदेश के अधीन रजिस्टर में फिर से प्रविष्ट किया जा सकेगा ।

मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर

19–(1) मृत्यु संबंधी प्रत्येक रजिस्ट्रार जो किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त करे जिसके नाम के बारे में उसे यह ज्ञात हो कि वह नर्सो, धात्रियों, सहायक धात्रियों,

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा "प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट" के लिये प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उपर्युक्त की धारा 8 (1) (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उपर्युक्त की धारा 8 (1) (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 8 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

रजिस्टरों से नामों को काटना

[1][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] के रजिस्टरों में से किसी रजिस्टर में प्रविष्ट है, मृत्यु के समय तथा स्थान की विशिष्टयां देते हुए ऐसी मृत्यु के संबंध में स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार को अविलम्ब डाक द्वारा भेजेगा ।

(2) ऐसे प्रमाण–पत्र या ऐसी मृत्यु के संबंध में कोई अन्य विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार मृत व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर से काट देगा जिसमें वह प्रविष्ट हो ।

कपटपूर्ण तथा गलत प्रविष्टियों का रजिस्टर से हटाया जाना

20–नर्सो, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [2][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] के रजिस्टरों में की गई कोई ऐसी प्रविष्टि, जिसके संबंध में परिषद् के समाधान–प्रद रूप में यह साबित हो जाय कि वह कपटपूर्ण या गलत ढंग से की गई है, परिषद् के लिखित आदेश के अधीन हटाई जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व संबद्ध व्यक्ति को नोटिस दिया जायेगा और उसकी आपत्तियों की यदि कोई हो, सुनवाई की जायेंगी और उन पर विचार किया जायेगा ।

रजिस्टर में नाम प्रविष्टि किये जाने का प्रतिषेध करने या उसे हटाने का निदेश देने आदि की परिषद् की शक्ति

21–(1) परिषद्, रजिस्ट्रार से निर्देश प्राप्त होने पर या अन्यथा, नर्सो, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [3][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] के रजिस्टरों में किसी नर्स, धात्री, सहायक धात्री, [4][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] का नाम प्रविष्ट किये जाने का प्रतिषेध कर सकेगी या उससे हटाने का निदेश दे सकेगी, या ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण निलम्बित कर सकेगी, यदि निम्नलिखित आधारों में से कोई आधार हो, अर्थात्––

(क) कि ऐसा व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा किसी अजमानतीय अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्धि तत्पश्चात् अपास्त नहीं की गई है या उसका परिहार नहीं किया गया है या अपराधी को क्षमा नहीं किया गया है ;

(ख) कि ऐसा व्यक्ति ऐसे आचरण का दोषी रहा है, जिससे परिषद् की राय में, यह उपदर्शित होता हो कि वह नर्स, धात्री, सहायक धात्री, [4][सहायक नर्स–धात्री या स्वास्थ्य परिदर्शक] के रूप में व्यवसाय करने के लिये ठीक या उचित व्यक्ति नहीं है ;

(ग) कि उस व्यक्ति के चरित्र में ऐसे दोष है जिनके कारण, परिषद् की राय में, उसका नाम रजिस्टरों में प्रविष्ट करना या बनाये रखना अवांछनीय है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन परिषद् द्वारा कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह सम्यक् जांच के पश्चात् (जिसमें संबद्ध व्यक्ति को अपने प्रतिवाद में सुनवाई का तथा या तो स्वयं या विधि परामर्शदाता, वकील, प्लीडर या अटार्नी द्वारा उपस्थिति होने का अवसर दिया जायेगा और जो परिषद् के अध्यक्ष के विवेकानुसार बन्द कमरे में की जा सकेगी), परिषद् की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले दो–तिहाई सदस्य बहुमत से यह न पाये कि सम्बद्ध व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने का आधार है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपर्युक्त की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 11 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उपर्युक्त की धारा 11 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) परिषद् यह निदेश दे सकेगी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो रजिस्टरों में, यथास्थिति, प्रविष्ट या पुनः प्रविष्ट किया जायेगा या प्रविष्ट बना रहेगा ।

परिषद् के आदेश के विरूद्ध अपील

22–धारा 20 या धारा 21 के अधीन परिषद् के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की सूचना पाने के दिनांक से तीन मास के भीतर, ऐसे आदेश के विरूद्ध [1][राज्य सरकार] को अपील कर सकेगा और ऐसी किसी अपील पर [1][राज्य सरकार] का विनिश्चय अंतिम होगा ।

रजिस्ट्रीकृत किए जाने के हकदार व्यक्ति

23–निम्नलिखित व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीसों का जो विहित की जाय, भुगतान करने पर नर्सो, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [2] [सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] के रजिस्टरों मे अपने नाम प्रविष्ट कराने के हकदार होंगे, अर्थात् ––

(क) ऐसे व्यक्ति जो इण्डिया नर्सिंग काउन्सिल ऐक्ट, 1947 के अधीन नर्सिंग या धात्रीकर्म या स्वास्थ्य परिदर्शन में मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखते हों ;

(ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा फैकल्टी के सहायक धात्री या प्रमाणित धात्रीकर्म के प्रमाण–पत्र मिले हों ; और

(ग) ऐसे व्यक्ति जो इण्डिया नर्सिंग काउंसिल ऐक्ट, 1947 की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन पारस्परिकता की योजना के अन्तर्गत उक्त ऐक्ट के अधीन संघटित इण्डिया काउंसिल आफ नर्सिंग द्वारा नर्सो, धात्रियों, [3][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] के रूप में रजिस्ट्रीकृत हों][4] :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी नर्सो, धात्रियों, [5][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] सहायक धात्रियों, को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर [6][उत्तर प्रदेश] राज्य चिकित्सा फैकल्टी द्वारा रखे गए रजिस्टरों में नामांकित हों, इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले समुचित रजिस्टरों में अपने नाम, अपनी अर्हताओं के अनुसार अन्तरित कराने का हक होगा ।

24– [7][* * * *]

रजिस्ट्रीकरण, संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, 1917 के अधीन

25–इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र किसी व्यक्ति को संयुक्त प्रान्त चिकित्सा अधिनियम, 1917 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का या कोई ऐसी पदवी, नाम या पदनाम धारण करने का जिससे यह विवक्षित होता हो कि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है या वह कोई चिकित्सा प्रमाण–पत्र या मृत्यु अथवा मृत–जन्म का प्रमाण–पत्र देने का हकदार है, या

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा "प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट" के लिये प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 12 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 12 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1952 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 12 (3) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा "यूनाइटेड प्राविंसेज" के लिये प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1952 की धारा 6 द्वारा निकाली गयी ।

रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हित करने वाला न होगा

प्रसूति से सम्बन्धित असामान्यता के अथवा रोगो के मामलों को हाथ में लेने का, कोई अधिकार या हक प्रदान न करेगा ।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को निर्योग्यता

26–[1] [राज्य सरकार] अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी की सामान्य या विशेष मंजूरी के सिवाय कोई व्यक्ति जब तक कि वह नर्स, धात्री, सहायक धात्री [2][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकं] के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से, किसी ऐसे औषधालय, चिकित्सालय, उन्मत्तालय, रूग्णावास, प्रसवाश्रम या मातृ और शिशु कल्याण केन्द्र में जिसे पूर्णतः या अंशतः सार्वजनिक निधियों से आश्रय मिलता हो, या उसके सम्बन्ध में, कोई ऐसी नियुक्ति धारण न करेगा जिसका पदनाम मैट्रन, नर्सिंग सिस्टर अधीक्षक, स्टाफ नर्स, नर्स, धात्री, सहायक धात्री, [2][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकं] हो या जिससे यह उपदर्शित होता हो कि उक्त नियुक्ति के धारक को नर्स, धात्री, सहायक धात्री [2][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकं] के रूप में प्रशिक्षित किया गया है ।

फीसों का व्ययन

27–इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त फीसों तथा अन्य धनराशियों का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय ।

वार्षिक सूचियों का प्रकाशन तथा उसमें की गई प्रविष्टियों के संबंध में उपधारणा

28–(1) रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष परिषद् द्वारा तदर्थ नियत दिनांक को या उसके पूर्व नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, के रजिस्टरों में तत्समय प्रविष्ट नामों की शुद्ध सूचियां मुद्रित तथा प्रकाशित कराएगा जिसमें निम्नलिखित बाते दी हुई होंगी ––

(क) रजिस्टरों में प्रविष्ट समस्त नाम जो कुलनामों के अनुसार वर्णक्रम से रक्खे गए हों,

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रीकृत पता या नियुक्ति जिसका नाम किन्ही भी रजिस्टरों में इस प्रकार प्रविष्ट हो, और

(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रीकृत अर्हता और वह दिनांक जब ऐसी अर्हता प्रमाणित की गई ।

(2) प्रत्येक न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि कोई व्यक्ति, जिसका नाम ऐसी सूचियों मे से नवीनतम सूची में प्रविष्ट हो, इस अधिनियम के अधीन यथाविधि रजिस्ट्रीकृत है और कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम प्रविष्ट न हो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसका नाम ऐसी मुद्रित सूचियों में न हो, नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [3][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकं] के रजिस्टर मे ऐसे व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की, रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित तथा परिषद् कों मुद्रांकित प्रमाणित प्रति इस बात का साक्ष्य होगी कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ; और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रत्येक न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत है :

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा "प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट" के लिये प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और परिषद् की मुद्रा से मुद्रांकित प्रमाण–पत्र जिसमें यह कथित हो कि, यथास्थिति, नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [1][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] की सूची में प्रविष्ट किसी व्यक्ति का नाम ऐसे रजिसटर से हटा दिया गया है ओर इस प्राकर हटाए जाने के दिनांक विनिर्दिष्ट हों, इस बात का कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तथा उस दिनांक का जब से वह रजिस्ट्रीकृत नहीं रहा या रही, साक्ष्य होगा और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रत्येक न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट दिनांक से रजिस्ट्रीकृत नहीं रह गया ।

स्थानीय पर्यवेक्षण के लिए प्रबन्ध करने की शक्ति

29–परिषद् इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [2][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] के सम्बन्ध में स्थानीय पर्यवेक्षण के लिए [3][राज्य सरकार] की पूर्व मंजूरी से ऐसा प्रबन्ध कर सकेगी जो वह उचित समझे ।

प्रमाण–पत्र का बेईमानी से उपयोग करने, झूठे उपायो से रजिस्ट्रीकरण उपास्त करने तथा रजिस्टर या प्रमाण–पत्र के मिथ्याकरण के लिए शास्ति

30–कोई व्यक्ति जो ––

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसे या किसी अन्य व्यक्ति को दिए गए किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का बेईमानी से उपयोग करेगा ;

(ख) कोई झूठी या कपटपूर्ण घोषणा, प्रमाण–पत्र या व्यपदेशन, चाहे लिखित रूप से या अन्यथा, करके या उपास्त करके अथवा करा कर या उपास्त करा कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण उपास्त करेगा या उपास्त करने का प्रत्यन करेगा ; या

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रखे गए रजिस्टरों या दिए गए प्रमाण–पत्रों से सम्बन्धित किसी विषय में कोई मिथ्याकरण जानबूझ कर करेगा या कराएगा,

वह दोषसिद्धि पर होने जुर्माने से, जो तीन सौ रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने को रजिस्ट्रीकृत व्यपदिष्ट निरूपित करने पर शास्ति

31–कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न होते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत नर्स, धात्री, सहायक धात्री, [4][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शक] का नाम या पदवी ग्रहण करेगा या उसका उपयोग करेगा या किसी ऐसे नाम, पदवी, परिवर्द्धन, वर्णन, साइनबोर्ड या ऐसी ही किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करेगा जिससे यह विवक्षित होता हो कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत नर्स, धात्री, सहायक धात्री, [4][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] है, वह दोषसिद्धि पर जुर्माने का जो प्रथम अपराध की दशा में पचास रूपये तक हो सकेगा, और द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, तीन सौ रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अपराधों का संज्ञान

32–(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान [3][राज्य सरकार] के आदेश से किए गए या की पूर्व मंजूरी से परिषद् द्वारा किए गए, किसी परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा "प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट" के लिये प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण न करेगा ।

नियम और विनियम

33–(1) [1][राज्य सरकार] इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम से संगत [2][नियम] पूर्व, प्रकाशन के पश्चात्, समय–समय पर, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, [1][राज्य सरकार] निम्नलिखित के सम्बन्ध में [2][नियम] बना सकेगी ––

(क) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों को विनियमित करना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [3][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] के रजिस्टरों के प्रपत्र या प्रपत्रों को विहित करना ;

(ग) रजिस्ट्रीकृत नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [3][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] द्वारा अपनी वृत्ति का व्यवसाय किए जाने का विनियमन करना, पर्यवेक्षण करना तथा समुचित सीमाओं के भीतर उसे निर्बन्धित करना ;

(घ) ऐसे प्राधिकारियों की जिन पर स्थानीय पर्यवेक्षण का भार हो, शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य विहित करना ;

(ङ) परिषद् द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन करना ––

(1) इस अधिनियम की धारा 21 (1) के परन्तुक के अधीन किसी जांच का संचालन ; और

(2) रजिस्टरों में किसी नाम की प्रविष्टि के प्रतिषेध या निलम्बन के आदेश को वापस लेना या किसी ऐसी नर्स, धात्री, सहायक धात्री, [4][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] का, जिसका नाम रजिस्टरों से हटाया जा चुका हो, नाम रजिस्टरों में पुनः प्रविष्ट करना ;

(च) परिषद् के निर्णयों के विरूद्ध की जाने वाली अपीलों को निपटाने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना ; और

(छ) इस अधिनियम के अधीन या उसके प्रयोजनों के एिल परिषद् द्वारा प्राप्त फीसों तथा अन्य धनराशियों के उपयोग को विनियमित करना ।

(3) धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, परिषद् [1][राज्य सरकार] की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित के सम्बन्ध में विनियम बना सकेगी ––

(क) रजिस्टरों को रखने तथा धारा 23 [5][* * *] के अधीन उनमें प्रविष्टि की शर्तों को विनियमित करना तथा ऐसी प्रविष्टि के लिए आवेदन का प्रपत्र विहित करना ;

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा "प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट" के लिये प्रतिस्थापित ।
2. नियमों के लिए विज्ञप्ति सं0 3914 पांच––308–38, दिनांक 5 जनवरी, 1939 देखे ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 17 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 17 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1952 की धारा 7 द्वारा शब्द और अंक "ऐन्ड सेक्शन 24" निकाले गये ।

(ख) [1][नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों] [2][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] [1][की परीक्षाओं का] या ऐसी किन्हीं [3][अन्य] परीक्षाओं का, जो रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए किसी शर्त के रूप में विहित की जाएं, संचालन विनियमित करना तथा ऐसी परीक्षाओं के आनुषंगिक या उनसे सम्बन्धित कोई विषय ;

(ग) यात्रा सम्बन्धी और अन्य व्यय रजिस्टर से काटे गए या हटाए गए नामों की प्रविष्टि के लिए भुगतान को विहित करना ;

(घ) रजिस्ट्रीकृत नर्सों, धात्रियों [2][सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों] की वार्षिक सूचियों के प्रकाशन को विनियमित करना ;

(ङ) परिषद् या समितियों के सदस्यों को देय यात्रा सम्बन्धी और अन्य व्ययों को विहित करना ;

(च) परिषद् के लेखाओं को विनियमित करना तथा उनकी संपरीक्षा ; और

(छ) सामान्यतया किन्हीं ऐसे विषयों के लिए जिनके सम्बन्ध में परिषद् यह समझे कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, व्यवस्था करना तथा ऐसी कोई बात विहित करना जो इस अधिनियम के अधीन विहित की जानी हो ;

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम ओर विनियम [4][सरकारी गजट] में प्रकाशित किए जायेंगे।

कतिपय व्यक्ति लोक सेवक होंगे 1860 का ऐक्ट सं0 45

34–धारा 16 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझा जायगा ।

जांचों तथा अपीलों में प्रक्रिया 1872 का ऐक्ट सं0 1, 1850 का ऐक्ट सं0 27

35–धारा 21 के अधीन की गई किसी जांच के प्रयोजन के लिए परिषद् की भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझा जायगा और वह पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) ऐक्ट, 1850 के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रत्येक जांच का संचालन, यथासम्भव, उक्त पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) ऐक्ट, 1850 की धारा 5 तथा धारा 8 से 10 तक के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा ।

वादों तथा विधिक कार्यवाहियों का वर्जन

36– [5][राज्य सरकार] परिषद् या रजिस्ट्रार की इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

राज्य सरकार द्वारा परिषद का नियंत्रण

37–यदि किसी समय [5][राज्य सरकार] को यह प्रतीत हो कि परिषद् ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, या उसकी सीमा का उल्लंघन किया है या उसका दुरूपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है, तो

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1948 की धारा 5 (1) द्वारा अन्तर्विष्ट ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1960 की धारा 17 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1948 की धारा 5 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट ।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा "यू0 पी गवर्नमेन्ट गजट" के लिये प्रतिस्थापित ।
5. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा "प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट" के लिये प्रतिस्थापित ।

[1][राज्य सरकार] उस दशा में जब वह शक्ति का इस प्रकार प्रयोग न करने, उसकी सीमा का उल्लंघन करने या उसके दुरुपयोग करने की गम्भीर प्रकार समझे, परिषद् को उनकी विशिष्टियां अधिसूचित करेगी ; और यदि परिषद् ऐसे समय के भीतर जो [1][राज्य सरकार] द्वारा तदर्थ नियत किया जाए, ऐसे व्यतिक्रम, सीमा के उल्लंघन या दुरूपयोग का उपचार न करे तो [1][राज्य सरकार] परिषद् को विघटित कर सकेगी और परिषद् की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ऐसे अभिकरण द्वारा ओर ऐसी अवधि के लिए करा सकेगी जिसे यह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि वह धारा 4 के निबन्धनों के अनुसार नयी परिषद् संघटित करने के लिए सुविधानुसार यथाशीघ्र कार्यवाही करेगी ।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा "प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट" के लिये प्रतिस्थापित ।